अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-56/2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःसितम्बर 13.2014

विषय- मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट पिटीसन संख्या -6973/2014 श्रीमती वन्दना श्रीवास्वत बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 21.5.2014 के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रश्नगत क्रिमिनल उपर्युक्त रिट के संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्न्ध में निम्न टिप्पणी की हैः-

"We deem it fit and proper to issue following directions in the matter of transfer of investigation by the higher police authorities or by the State Government:

(a) Normally there should be no any order of transfer of investigation on an application made by an accused.

(b) Every attempt should be made by the higher police authorities/State on receipt of an application for transfer of investigation to first ensure that the investigation is done by the concerned Police Station/concerned police authority in a fair and diligent manner.

(c) Before passing any order on an application for transfer of investigation, the minimum expected from the State Government or from the higher police officers is to obtain a report from the Investigating Officer qua the status of the investigation and the order of the High Court, if any, in respect of the case crime number.

d. If it is absolutely necessary to pass an order of transfer of investigation on the application of an accused, then the minimum required would be that the order must be supported by cogent reasons with reference to the material available with the authority transferring the investigation.

(e) If necessary and permissible, an opportunity should also be afforded to the informant/ complainant before making any such order of transfer.

The directions issued by us herein above must be strictly complied with and there should be no occasion for any complaint being made to this Court that the higher authorities/State Government have disobeyed the directions, so issued. ''

विवेचना स्थानान्तरण के सन्दर्भ में पार्श्वंकित परिपत्रों का भी अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा जो समय-समय पर जो परिपत्र निर्गत किए गए है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व प्रेषित दिशा -

डीजी परिपत्र संख्याः डीजी-69/12 दिनांक 04.02.12
परिपत्र संख्याःएडीजी-1/12 दिनांक 12.12.12
डीजी परिपत्र संख्याः 27/2014 दिनांक 10.05.14

निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13/09/14

(ए0एल0 बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
3.पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
4.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
6.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।